

प्रेषक,

राजीव कुमार

मुख्य सचिव

30प्र0 शासन

सेवा में,

- 1 समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश
- 2 समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश
- 3 समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश
- 4 प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, निकायों, परिषदों एवं स्वायत्तशासी निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 03 जनवरी 2018

विषय:-उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों /नगर निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निकायों इत्यादि में ई-टेण्डरिंग प्रणाली के संबंध में।
महोदय,

पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन तथा शासकीय विभागों में निर्माण कार्यों, सेवाओं/ जाब-वर्क एवं सामग्री के क्रय में प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आई0टी0/2017 दिनांक 12 मई 2017 द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगर निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निकायों इत्यादि में ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू की गई है।

2- वर्तमान में निविदादाताओं द्वारा सामान्यतः निविदा शुल्क एवं धरोहर धनराशि (EMD) निविदा आमंत्रित करने वाले विभाग/कार्यालय को भौतिक रूप से उपलब्ध कराये जाती है। कतिपय विभागों/कार्यालयों द्वारा निविदादाताओं के मूल अभिलेखों का भी भौतिक निरीक्षण/ सत्यापन कराया जाता है जिसमें असामाजिक तत्वों द्वारा बाधा उत्पन्न की जाती है, एवं इससे निविदा प्रक्रिया प्रभावित होती है।

3 ई-टेण्डरिंग प्रणाली के अन्तर्गत निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि (EMD) की प्राप्ति और भुगतान इन्टरनेट बैंकिंग/NEFT/RTGS से किये जाने की व्यवस्था लागू की जा रही है एवं तत्सम्बन्धी कार्यालय जाप संख्या 2778/78-2-2017-97 आई0टी0/2017टीसी दिनांक 05 सितम्बर 2017 निर्गत किया गया है।

4 असामाजिक तत्वों द्वारा निविदा प्रक्रिया को प्रभावित न किया जा सके, अतएव इस प्रयोजन से शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि (EMD) की प्राप्ति हेतु आन लाइन व्यवस्था होने तक निविदादाताओं द्वारा ई-टेण्डरिंग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रणाली के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्रों के अतिरिक्त मूल अभिलेखों एवं निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि (EMD) सम्बन्धी डिमान्ड ड्राफ्ट्स/पे आर्डर्स की स्कैन प्रति अथवा प्रतिभूति प्रमाण-पत्र विभाग के पक्ष में बन्धक कराने पर प्राप्त ट्राजेक्शन नम्बर को निविदा के समय अपलोड किया जायेगा तथा निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो जाने अर्थात् निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड्स खोले जाने के उपरान्त निविदादाता द्वारा मूल अभिलेख व्यक्तिगत रूप से विभाग/कार्यालय को प्रस्तुत किये जायेंगे। निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड्स खोले जाने के उपरान्त निविदादाता द्वारा मूल अभिलेख एवं निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि (EMD) सम्बन्धी डिमान्ड ड्राफ्ट्स/पे आर्डर्स/प्रतिभूति प्रमाण-पत्र मूल रूप से प्रस्तुत नहीं किए जाने पर निविदादाता के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाये तथा उसका पंजीयन निरस्त कर काली सूची में डालने की भी कार्यवाही की जाये।

5 इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासकीय विभागों में ई टेण्डरिंग प्रणाली लागू किए जाने के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
राजीव कुमार
मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- 1 मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ
- 2 प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश
- 3 प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ
- 4 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।